न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 78 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 24.10.2024

1–आनन्दा पुत्र बख्ता जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
2–सुरेश पुत्र बख्ता जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
3–मुकेश पुत्र मूल्या जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
4–देवाराम पुत्र मूल्या जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
5–केदार पुत्र नानगा जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
6–कमलेश पुत्र नानगा जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
7–पांचू पुत्र शोनाथ जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
8–सुवा पुत्र शोनाथ जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0
9–शांति देवी पत्नि छीतर जाति बलाई निवासी आकोडिया तहसील निवाई जिला टोक राज0

–अपीलाण्ट्स

बनाम

नायब तहसीलदार निवाई जिला–टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार निवाई दिनांक 08.10.2024 मिसल नम्बर 395 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री योगेश व्यास,अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

<u>निर्णय</u> **दिनांक** 23.01.2025

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार निवाई ने अपने निर्णय दिनांक 08.10.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 526 रकबा 0.1012 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 09 / रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का

जिला कलेक्टर
टोंक

अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित ना होते भी अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कब्जा नही है। अपीलांट ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 526 रकबा 0.1012 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार निवाई द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की ओर से कमल की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नही हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 526 मे से रकबा 0.1012 है0 किस्म गै.मु.रास्ता वाके ग्राम आकोडिया तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 367/2024 निर्णय दिनांक 09.02.2024 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 09.01.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है। मैने उक्त वर्णित भूमि से पूर्व मे ही कब्जा हटा लिया था तथा वर्तमान मे मौके पर मेरा कोई कब्जा नही है और ना ही भविष्य मे उक्त आराजी पर मै कब्जा करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार निवाई प्रकरण संख्या 395/2024 दिनांक 08.10.2024 मे अपीलांट अतिक्रमी के विरूद्व 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा तक निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर राजस्थान